

**04 किग्रा अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से घटना में प्रयुक्त
मोटरसाइकिल बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के क्रय-विक्रय एवं निष्कर्षण से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में 30नि0 शेर बहादुर यादव मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र स्व. कुबेर यादव निवासी भवानीपुर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को 04 किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 354 /2023 धारा 8/20 एनीडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता –

बृजेश यादव पुत्र स्व. कुबेर यादव निवासी भवानीपुर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-354/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. 04 किग्रा0 अवैध गांजा
2. एक अदद मोटरसाइकिल सं0 UP 57AF 4060

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- 30नि0 शेर बहादुर यादव चौकी टी0पी0 नगर थाना राजघाट गोरखपुर
- 2- 30नि0 राजवंश सिंह चौकी प्रभारी अमरुदबाग थाना राजघाट गोरखपुर
- 3- का0 नवी रसूल थाना राजघाट गोरखपुर
- 4- का0 दीशू राय थाना राजघाट गोरखपुर